सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट दिनांक 23.01.2025

साइबर फ्राड करने वाले 01 वाँछित अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 थार कार काला रंग, 01 स्कोर्पियो कार (दोनों कार पर 02-02 फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुयी), 01 फर्जी आरसी, 02 आधार कार्ड, 01 एटीएम कार्ड किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

साइबर फ्रॉड के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गैंग के पर्दाफाश एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 23.01.2025 को थाना बसरेहर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत कल्ला बाग पर भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 116/2024 में वाँछित अभियुक्त बहादुरपुर बाईपास के पास अपने साथियों के साथ काले रंग की थार एवं स्कार्पियो कार के साथ कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त रॉकी पुत्र राकेश कुमार को **बहादुरपुर बाईपास के पास से समय 14.55 बजे 01 थार कार एवं 01 स्कोर्पियो कार (फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुयी) सहित गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये उसकी तलाशी ली गयी तो कार से 02 आधार कार्ड, 01 एटीएम कार्ड, 01 फर्जी आरसी, 04 फर्जी नम्बर प्लेट तथा 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया।

बरामद थार कार एवं स्कोर्पियो कार को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रॉकी पुत्र राकेश कुमार निवासी किल्ली रोड कस्बा व थाना बसरेहर जनपद इटावा **उम्र 32 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 116/2024 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/3(5) बीएनएस व धारा 66C/66D आईटी एक्ट थाना बसरेहर जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त रॉकी पुत्र राकेश बाबू

1. मु0अ0सं0 200/2020 धारा 147/148/149/307/323/386/427/452/504/506 भादवि थाना बसरेहर जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 14/2022 धारा 307/34/504/506 भादवि थाना बसरेहर जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 116/2024 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/3(5) बीएनएस व धारा 66C/66D आईटी एक्ट थाना बसरेहर जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 थार कार फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुयी **(UP75AM9099)**
2. 01 स्कोर्पियो एन कार फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुयी **(UP75AS7071)**
3. 04 फर्जी नम्बर प्लेट
4. 01 एटीएम कार्ड स्टेट बैंक
5. 02 आधार कार्ड
6. 01 फर्जी आरसी
7. 01 मोबाइल

पुलिस टीमः- उ0नि0 श्री समित चौधरी थानाध्यक्ष बसरेहर, उ0नि0 सौरभ राणा, उ0नि0 राजेश कुमार, एएसआई अभय यादव, हे0का0 मोहित, का0 धर्मवीर, का0 सुखदेव, का0 विनोद।